*प्रेस नोट*
*जनपद – संतकबीरनगर*
*दिनाँक 04.06.2026*

***संतकबीरनगर पुलिस द्वारा झपटमारी के मामले से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार***

***झपटमारी की 02 अदद मोबाईल एवं घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटर साइकिल बरामद***

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री जय प्रकाश दुबे*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 469/2026 धारा 304(2) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता 01. सूरज यादव पुत्र अखिलेश यादव निवासी ग्राम समदहा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को झपटमारी की कुल 02 अदद मोबाइल एवं घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटर साइकिल के साथ नेशनल हाईवे सर्विस लेन से औद्योगिक क्षेत्र शमशान रोड के पास से गिरफ्तार किया गया।

***घटना का संक्षिप्त विवरणः-*** दिनाँक 03.06.2026 को वादी श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र स्व० श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह निवासी विद्यानगर पुरानी तहसील थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 01.06.2026 को मैं बरदहिया सब्जी मंडी रोड से कलपित हास्पिटल की तरह जा रहा था तभी किसी अज्ञात व्यक्ति ने मेरे हाथ से मेरा मोबाइल छीन लिया। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 469/2026 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

***मु0अ0सं0 469/2026 धारा 304(2) बीएनएस से सम्बन्धित मोबाईल बरामदगी पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।***

***पुछताछ विवरण*-** गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया कि मै घूम फिर कर भीड़ भाड वाले स्थानो पर मौका पाकर लोगो से मोबाइल छिन लेता हूँ। दिनाँक 01.06.2026 को समय माता मंदिर के पीछे सब्जी मण्डी रोड से एक व्यक्ति से मैने बरामद REDMI कम्पनी का मोबाइल छीना था तथा कुछ दिन पहले ही मैने NARZO कम्पनी का मोबाइल बघौली के आगे पुल के पास से एक व्यक्ति से छीना था। मै छिनैती के मोबाइलो को घूम फिर कर अज्ञात लोगो से पैसा लेकर बेच देता हूँ। जो पैसा मिलता है, खाने पीने मे खर्च कर अपना खर्चा चलाता हूँ।

*__गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-__*

- ❖ 01. सूरज यादव पुत्र अखिलेश यादव निवासी ग्राम समदहा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

*__बरामदगी का विवरणः-__*

- ❖ झपटमारी की 02 अदद मोबाईल एवं घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटर साइकिल।

***गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-***

- ❖ उ0नि0 श्री अनिल कुमार यादव, हे०का० धर्मेन्द्र कुमार, का0 सुनील कुमार पाल।

***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 2.3 किलोग्राम अवैध गाँजा के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री जयप्रकाश दूबे*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व भ्रमण क्षेत्र के दौरान अभियुक्त नाम पता श्रेयांश पाण्डेय पुत्र स्व० अष्टभुजा पाण्डेय निवासी कोल्हुआ थाना महुली जनपद संतकबीरनगर हा0 मु० बंग्लाताल थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को कचहरी रोड मोड़ के पास से 2.3 किलोग्राम अवैध गाँजा के साथ दिनाँक 03.06.2026 को गिरफ्तार कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरः पालन करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-***

1. श्रेयांश पाण्डेय पुत्र स्व० अष्टभुजा पाण्डेय निवासी कोल्हुआ थाना महुली जनपद संतकबीरनगर हा0 मु० बंग्लाताल थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

***पंजीकृत अभियोग–***

मु0अ0स0 470/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

***बरामदगी-***

2.3 किलोग्राम अवैध गाँजा।

***दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा 01 नफर वारण्टी नाम पता जनार्दन पुत्र रामललित निवासी खलीलाबाद थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः-*** उ0नि0 श्री इन्द्रभूषण सिंह, का0 रघुवंश प्रसाद।

***थाना महुली पुलिस*** द्वारा 01 नफर वारण्टी नाम पता आनंद पाठक पुत्र कैलाश पाठक ग्राम खिरिया थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः-*** उ0नि0 श्री दशरथ कुमार, का0 आकाश कन्नौजिया।

***शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 11 अभियुक्त गिरफ्तार***

***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
***थाना दुधारा पुलिस*** द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
***थाना मेंहदावल पुलिस*** द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
***थाना बखिरा पुलिस*** द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
***थाना धर्मसिहंवा पुलिस*** द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

***मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 277 वाहनों से 1,09,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया***

आज दिनाँक 04.06.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 277 वाहनों से 1,09,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

***थाना धनघटा पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या के मामले में वांछित 01 नफर अभियुक्त , 01 नफर अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार व 02 नफर विधि विरुद्ध कार्य करने वाले बालकों को किया गया निरुद्ध***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री अभयनाथ मिश्र* के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा *श्री दिलीप कुमार सिंह* के नेतृत्व में थाना धनघटा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 300/2026 धारा 191(2),115(2),351(3),105 बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्त 1.शैलाब पुत्र रामबेलास ग्राम चोरमरा थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर व अभियुक्ता 2. इन्द्रावती पत्नी शैलाब ग्राम चोरमरा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर व 02 बाल अपचारी को आज दिनाँक 04.06.2026 को डिहवा बाजार में जियो पेट्रोल पम्प के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनांक 18.05.2026 को वादी मुकदमा श्री प्रहलाद पुत्र सावर निवासी ग्राम चोरमरा थाना धनघटा जनपद संतकबीर नगर की लिखित तहरीर पर अभियुक्त व अभियुक्त तथा बाल अपचारी के विरुद्ध मारपीट व गैर इरादतन हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित मजरुब रामसावर पुत्र बुद्धिराम निवासी ग्राम चोरमरा थाना धनघटा जनपद संतकबीर नगर उम्र करीब 60 वर्ष को मारपीट के उपरान्त इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मलौली, वहां से रेफर पर संयुक्त जिला चिकित्सालय संत कबीर नगर, वहां से रेफर के बाद मेडिकल कॉलेज गोरखपुर इलाज हेतु ले गए थे। जहां से परिजन ईलाज हेतु प्राइवेट अस्पताल आजमगढ़ ले गए थे जहां पर विजय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आजमगढ़ में इलाज चल रहा था। दिनांक 01.06.26 को आजमगढ़ प्राइवेट अस्पताल से मजरुब को ईलाज हेतु हायर सेन्टर लखनऊ के लिए रेफर किया गया था। परिजनो द्वारा मजरुब को राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल लखनऊ इलाज हेतु ले जाया जा रहा था कि लखनऊ पहुंचने पर दिनांक 02/03.06.2026 की रात्रि में मृत्यु के दौरान मृत्यु हो गयी थी। उक्त प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना धनघटा पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए घटना में सम्मिलित अभियुक्तगण व बाल अपचारी को गिरफ्तार किया गया है।

*गिरफ्तार/निरुद्ध अभियुक्त का नाम व पताः-*

1.शैलाब पुत्र रामबेलास ग्राम चोरमरा थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर।

2. इन्द्रावती पत्नी शैलाब ग्राम चोरमरा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

03. 02 नफर बाल अपचारी।

*गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-*

उ0नि0 श्री वीरबहादुर यादव, का0 शरद कुमार राय, का0 मनोज यादव, का0 प्रवीण कुमार, रि0म0का0 बेबी तिवारी।

***दहेज लोभियों के विरुद्ध थाना धनघटा पुलिस की बड़ी कार्यवाही:- दहेज मृत्यु के मामले में वांछित 02 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभयनाथ मिश्रा*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा ***श्री दिलीप कुमार सिंह*** के नेतृत्व में में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 361/2026 धारा 85,80(2) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तगण नाम पता 01.बलवन्त पुत्र भोलानाथ उर्फ भोला ग्राम हरनही पोस्ट बकैनिया पकड़ी थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर व 02. अभियुक्ता शुभावती पत्नी भोलानाथ उर्फ भोला ग्राम हरनही पोस्ट बकैनिया पकड़ी थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को ग्राम धनघटा मस्जिद के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 03.06.2026 को थाना धनघटा पर लिखित सूचना दी गई थी कि उनकी पुत्री को प्रतिवादीगण द्वारा दहेज की नाजायज मांग को लेकर काफी समय से शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था तथा उनके साथ लगातार मारपीट की जा रही थी। दिनांक 08.05.2026 को वादिनी की पुत्री को मारपीट करने के उपरान्त अस्पताल ले जाया गया जहाँ दिनांक 09.05.2026 को मृत्यु हो गयी थी। महिला सम्बन्धी अपराध की गंभीरता को देखते हुए थाना धनघटा पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त अभियुक्तगण को आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल का विवरणः-*** उ0नि0 श्री रविन्द्र सिंह यादव, हे0का0 इब्राहिम अली , रि0का0 शिवम यादव , रि0का0 अनुज वर्मा , म0का0 मीरा मिश्रा , म0रि0का0 चंचल पाण्डेय।